सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/731 दर्ज तिथिः—09.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

......................प्रार्थीगण

बनाम

2. ग्राम पंचायत नेहरो का वास

......................अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—25.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा संख्या 478/360 मौजा दोलपुरा तहसील गुड़ामालानी के कटाण रास्ते की तरमीम मौके पर चालू प्रस्ताव में लाल रंग से अंकित कदीमी रास्ते मुताबिक मौके पर चलायमान होने के मार्ग पर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने तथा तरमीम दुरूस्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिनांक 11.12.2025 को जारी किये गये थे। उक्त आदेश की पालना में उक्त रास्ता की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में की गई। परंतु उक्त तरमीम गलत स्थान पर करने से चारागाह का एकचक खसरा संख्या 360 के दो टुकड़े होने से चारागाह के खसरे के विखण्डन की सम्भावना उत्पन्न हो गई। साथ ही मौके पर चालू रास्ते पर अवस्थित राजकीय विद्यालय को भी रिकॉर्डेड रास्ते की पहुंच सम्भव नहीं हो सकी। इस कारण उक्त कटाण रास्ते की तरमीम को चारागाह के खसरे के किनारे से करने का निवेदन किया गया। उक्त प्रस्ताव के अनुसार तरमीम करने से चारागाह के खसरे का विखण्डन पर विराम लगना प्रस्तावित है। साथ ही उक्त कटाण रास्ते की मौके पर चालू मार्ग पर तरमीम करने से राजकीय विद्यालय के साथ—साथ अन्य खातेदारों को भी रास्ते की उपलब्धता होना प्रस्तावित है। उक्त तरमीम दुरूस्ती में चारागाह से क्षतिपूर्ति की गई रकबे में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

तहसीलदार गुड़ामालानी बनाम
ग्राम पंचायत नगर
2025 / 731
निर्णय दिनांकः—25.05.2026

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में खसरा संख्या 478/360 मौजा दोलपुरा तहसील गुड़ामालानी की तरमीम दुरूस्त करते हुए व रकबा यथावत रखते हुए मौके पर चालू लाल रंग से अंकित मार्ग व रास्ते पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी